निबंधित / Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :–01 / भू0अ0नि0 (2) क्षे0 स्था0 (अनुकम्पा)– 01 / 2022..12545 **पटना, दिनांक** :–19.06.24

आदेश

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना का ज्ञापांक 2768 दिनांक 18.08.2023 (क्रमांक–07) द्वारा अनुशंसित तद्नुसार बन्दोबस्त कार्यालय, पटना का पत्रांक पत्रांक 73 दिनांक 03.04.2024 से प्राप्त अनुशंसा एवं नियुक्ति हेतु वांछित सभी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त पवित्र राम, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी के आश्रित पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक (समूह–'ग') के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रावधानों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे–1900 (वेतन स्तर–2) तथा सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा में अस्थायी रुप से नियुक्त किया जाता है।

2. अनुकम्पा पर नियुक्त व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के सभी आश्रितों के भरण–पोषण का पूर्ण दायित्व होगा। विपरित सूचना प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

उतरदायित्व का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा तथा इसके लिए नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उतरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर इनकी परिलब्धियों का कुछ अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा।

3. यदि भविष्य में यह पाया गया कि नियोजित व्यक्ति द्वारा किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया है, नियोजित व्यक्ति से बिना किसी कारण–पृच्छा किसी भी समय इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं दहेज नहीं लेने–देने संबंधी घोषणा पत्र के साथ बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के समक्ष आदेश निर्गत की तिथि के एक माह के अन्दर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक उपर्युक्त औपचारिकताओं का पालन करते हुए योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

5. यह नियुक्ति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–2469 दिनांक 16.11.2005 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगी।

6. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

19/6/24

जय सिंह
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 01 / भू0अ0नि0 (2) क्षे0 स्था0 (अनुकम्पा)– 01 / 2022–12545 **पटना, दिनांक** :19.06.24

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ0पृ0उ0

D:\Kavita-Y-2024\Amar Dev Ji\Order\01-2022-12-06-2024 (Anu.).doc

निबंधित

ज्ञापांकः 01 / भू0अ0नि0 (2) क्षे0 स्था0 (अनुकम्पा)– 01 / 2022–12545 **पटना, दिनांक** 19.06.24

प्रतिलिपि : श्री जितेन्द्र कुमार, पिता–स्व0 पवित्र राम, ग्राम–ईश्वर पट्टी, डाकघर–झपहां, थाना–अहियापुर, प्रखंड–बोचहाँ, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन कोड–842004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 15/6/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01 / भू0अ0नि0 (2) क्षे0 स्था0 (अनुकम्पा)– 01 / 2022–12545 **पटना, दिनांक** :19.06.24

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इस नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान करेंगे एवं नवनियुक्त कर्मी की प्रविष्टी R2R में भी करेंगे।

निदेशक 15/6/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01 / भू0अ0नि0 (2) क्षे0 स्था0 (अनुकम्पा)– 01 / 2022–12545 **पटना, दिनांक** :19.06.24

प्रतिलिपि :–श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 15/6/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप